

वहाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 149 अंक चढ़कर 10,886.80 पर बंद हुआ।

पीपल बैंक ऑफ चाइना तथा वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि चीन सरकार खासतौर पर छोटे कारोबारों और विनिर्माण क्षेत्र के लिए कर की दरें कम करेंगी। इसका बाजार पर असर पड़ा। घरेलू मार्च पर खुदरा मुद्रास्फीति के 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंचे से भी निवेशकों की धारणा को बल मिला। बाजार के भागीदारों का मानना है कि इससे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दरों में कटौती की गुंजाइश बन सकती है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सह-संस्थापक रामदेव अग्रवाल ने कहा, 'ब्याज दरें कम होने की उम्मीद से बाजार में तेजी आई। मुद्रास्फीति घटी है, ऐसे में दरों में कटौती को लेकर चर्चा बढ़ गई है।'

इलाहाबाद बैंक

मण्डलीय कार्यालय : प्रथम त

कब्जा सूचना (प्रवर्तन अधिनियम 2002 की)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के अधीन इलाहाबाद बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रत 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार, छिल्लर द्वारा (2) श्रीमती सरोज छिल्लर पत्नी श्री रविंद्र कुमार 27.09.2018 को मांग सूचना जारी की गयी थी जिसमें सूचना चार सौ इक्यावन मात्र) दिनांक 26.09.2018 तक साथ में सा प्रभार इत्यादि सहित अदायगी की तिथि तक, उक्त सूचना की कर्जदार/गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो के जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति को के उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 15 जनवरी, 2019 विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर तथा सामान्य रूप से जनसा सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन रु. 77,18,451/- (रु. सत्तहत्तर लाख अठ्ठाह हजार चार सौ अर्जित/अवास्तविक ब्याज, आकरिमक खर्च, लागत, प्रभार इ कर्जदार(री) का ध्यान एकट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रा सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि अचल सम्पत्ति गुडगाँव-122001 में स्थित, क्षेत्रफल 22.68 वर्ग मी., श्रीमती दिनांक : 15.01.2019, स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 15.01.2019
स्थान: नई दिल्ली

अंतरिम समाधान पेशेवर
IBBI/PA-002/IP-N00001/2016-17/10001

FIVE CORE EXIM LIMITED

(Formerly known as Aurum Soft Systems Limited)

CIN: L32200TN1994PLC026958
REG OFFICE: City Centre Plaza, 3rd Floor, Room No. 7/48, Anna Salai, Chennai-600 002, Tel: (91) - 7042292838
Email: manager.roc@5core.in, Website: www.fivecoreexim.com

NOTICE OF THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING (EGM) AND REMOTE E-VOTING INFORMATION BOOK CLOSURE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT an Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of Five Core Exim Limited ("Company") will be held on Friday, 8th day of February, 2019 at 01:00 P.M. at WZ-15B, Uggarsain Market, Ashok Nagar, New Delhi-110018 India to transact the business as mentioned in the Notice of the EGM. The dispatch of physical copies of the Notice of the EGM to all the shareholders, whose email-ids are not registered with the Company or who have opted to obtain notice in physical copy, have been completed on 14th January, 2019. Dispatch of EGM Notice through electronic mail (e-mail) has also been completed on 15th January, 2019.

In this regard, the Members are hereby further informed that;

- As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the SEBI (LODR), Regulation, 2015 the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their vote electronically on all the resolutions set forth in the Notice. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as the agency to provide e-voting facility. Ms. Meghna Piplani of Piplani & Associates, Delhi (Membership No. 45447, C.P. No. 16652) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and ballot process in a fair and transparent manner. The detailed procedure/ instructions for remote e-voting are contained in the Notice of the EGM. In this regard, the Members are further notified that the cut-off date i.e. Friday, February 1, 2019 and remote e-voting shall commence from February 05, 2019 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Thursday, February 07, 2019 at 05:00 p.m. (IST).
- The remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on Thursday, February 07, 2019;
- the facility for voting through ballot paper shall be made available at the EGM;
- the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again;
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. February 1, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of notice of the EGM but before the cut-off date may obtain the Login ID and password by following the procedure as mentioned in the notice of the EGM or sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
- The Notice of EGM is available on the Company website www.fivecoreexim.com and on CDSL website www.evotingindia.com.
- For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the notice EGM and in case of any queries / grievances connected with electronic voting, Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual for shareholders available at the HELP section of www.evotingindia.com or may write to helpdesk.evoting@cdslindia.com and can contact Mr. Rakesh Dalvi, Dy. Manager, CDSL India, 17th floor, P.J Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001. (Contact No. 1800 200 5533).

For and on Behalf of the Board
For Five Core Exim Ltd.
Sd/-
Surinder Kaur Kairs
Chairperson & Managing Director
DIN: 00177037

Date: January 15, 2019
Place: New Delhi

यूनियन बैंक Union Bank of India

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रभावीकरण अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नाम के सामने दर्शाये गए खातों में उनके नामों के सामने दी गई तारीख से 60 दिनों के भी नोटिस जारी किया था। ऋणी/ऋणियों/बंधककर्ता द्वारा राशि अदा करने में असफल होने नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उ (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर कब्जा उनके खातों के सामने दी गई तारीख पर ले लिया है। ऋणी/ऋणियों को विशेष रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पुरानी मंडी, सहारनपुर शाखा को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज किया जा सकता है। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध सम उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता के नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण
1.	ऋणी: श्री शाहनवाज अंसारी पुत्र बुद्धन, प्लॉट नं० 37, डिफेंस कॉलोनी, बेट्ट रोड, सहारनपुर (3090)-247001, श्रीमती बुखारी अमरीन बानो पत्नी श्री शाहनवाज अंसारी, प्लॉट नं० 37, डिफेंस कॉलोनी, बेट्ट रोड, सहारनपुर (3090)-247001 गारंटर: मौहम्मद शाकिर पुत्र रईस अहमद, मकान नं० 463, मोहसिराजन, नक्शा बाजार, सहारनपुर (3090)-247001	आवासीय संपत्ति स्थित प्लॉट नं० 37 व 38 (खसरा नं० 518-एम), दर आबादी नई हनुमान नगर कॉलोनी, दारा कोट ताला बैरून, सहारनपुर (3090)-247001, माप क्षेत्रफल 99.90 वर्ग मीटर, संपत्ति स्वामी श्री शाहनवाज अंसारी पुत्र बुद्धन सीमायें-पूर्व: प्लॉट नं० 36, पश्चिम: प्लॉट नं० 37 व 38 का शेष भाग, उत्तर: 20' रास्ता, दक्षिण: प्लॉट नं० 29 व 30
	दिनांक-13.01.2019	स्थान-सहारनपुर